**दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अधीन राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 20.08.2016 को सम्पन्न बैठक के उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पथ विक्रेताओं को सहायता के अन्तर्गत वाराणसी नगर की D.I.P. पर विचारार्थ समिति की छठी बैठक का कार्यवृत्त।**

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता योजना हेतु गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2016 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
2. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
3. श्री राहुल जी श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, हडको, लखनऊ।
4. श्री वी. धीरूयावालवन कार्यकारी निदेशक, हडको, लखनऊ।
5. श्री आर0के0 श्रीवास्तव, उप महाप्रबन्धक हडको, लखनऊ।
6. डा0 अरूण कुमार राणा, सहायक महाप्रबन्धक, हडको, लखनऊ, प्रतिनिधि भारत सरकार।
7. अजन्ता देवी, वरिष्ठ शोध अधिकारी, नियोजन विभाग, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
8. श्री राम नरेश, अपर सांख्यिकी अधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय।
9. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
10. श्री आर0एन0 पाल, स्टेट मिशन मैनेजर, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
11. मो0 तैयब, स्टेट मिशन मैनेजर, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
12. सिमी ओमेर, स्टेट मिशन मैनेजर, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
13. श्री के0एस0 परिहार, परियोजना अधिकारी, डूडा– वाराणसी।
14. श्री वी0के0 शर्मा, निदेशक, बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड।
15. श्री संदीप शर्मा, प्रबंधक, बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड।

राज्य शहरी आजीविका मिशन के पत्र सं0–450/241/NULM/तीन/2001(SUSV) दिनांक 23.06.2016 द्वारा सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/डूडा, वाराणसी और सहारनपुर से दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। राज्य शहरी आजीविका मिशन स्तर पर बैठक में तय पाया गया था कि वाराणसी और सहारनपुर नगरों में पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है, उनके पंजीकरण तथा वेंडिंग प्लान आदि तैयार करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है, अतः इन नगरों में कम से कम में एक–एक स्थान/वेण्डर मार्केट/फूड जोन एक माडल के तौर पर शीघ्र विकसित किये जायें। DIP तैयार करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी "शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता" घटक की

Operational Guidelines दृष्टव्य होगी। उक्तानुसार DIP तैयार कर राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे ताकि उसको राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त कर उसे शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जा सके।

इस परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी/सिटी प्रोजेक्ट आफिस/परियोजना निदेशक शहर मिशन प्रबंधन इकाई के पत्र सं0 139/NULM/SUSV/2016 दिनांक 29 जुलाई 2016 द्वारा जे0पी0 मेहता स्कूल वरूणा पुल वाराणसी के सामने माडल वेंडिंग जोन विकसित करने हेतु विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) प्रस्तुत करते हुए उसके क्रियान्वयन हेतु आगणन धनराशि रू0 73,89,527.96 भी प्रस्तुत की गई है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस प्लान को विचारार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से DIP पर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्तुत की गई DIP के अनुसार वाराणसी नगर में पथ विक्रेताओं की अनुमानित संख्या 25000 है जिनमें 24472 पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कर डाटा इन्ट्री करते हुए वेण्डर्स प्रोफाइल तैयार कर ली गई है। इनमें 6387 (26.1%) स्थिर पथ विक्रेता और 18085 (73.9%) चल पथ विक्रेता है। 19162 (78.3%) पुरूष तथा 5310 (21.7%) महिलायें पथ विक्रय कार्य कर रही है। इन पथ विक्रेताओं में 8665 (35%) फूड वेंडर्स, 7317 (29.9%) फ्रूट एण्ड वेजीटेबल वेंडर्स, 4894 (20%) गुड्स एण्ड आर्टिकल वेंडर्स तथा 3695 (15.1%) सेवा प्रदाता पथ विक्रेता है। पथ विक्रेताओं की श्रेणी, लिंग, परिवार में सदस्यों की संख्या, शैक्षिक स्थिति, आयु वर्ग, बैंक में खाता धारक आदि के भी आंकड़े दिये गये हैं। सन्दर्भगत स्थल पर जे0पी0 मेहता रोड के 53,स्टेट बैंक रोड क 93 कचहरी चौराहे से सर्किट हाउस के 71 तथा सर्किट हाउस से जे0पी0 मेहता रोड के 19 कुल 236 पथ विक्रेताओं को समायोजित किया जाना प्रस्तावित है। विकास प्लान के ले आउट में उन्हें समायोजित/पुनर्स्थापित (relocate) किया जाना प्रस्तावित है।

माडल वेंडिंग जोन/फूड जोन में आधुनिक स्टाल, शौचालय, प्रकाश, पार्किंग पेयजल, कूड़ा प्रबन्धन बैठने की व्यवस्था, अग्निशमन तथा पुलिस बूथ उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त के अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों हेतु आगणित लागत इस प्रकार होगी–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सिविल कार्य | रू0 52,11,873.36 |
| 2. | विद्युत कार्य | रू0 04,64,490.00 |
| 3. | फूड स्ट्रीट हेतु अपेक्षित उपकरण | रू0 16,40,000.00 |
| 4. | कन्टिनजेन्सी | रू0 73,164.00 |
| | **योग** | **रू0 73,89,527.96** |

अवगत कराया गया कि उपरोक्त स्थल पर लगाये जाने वाले स्टाल्स/ कार्ट्स पर विज्ञापन का अधिकार देकर Schedule of works के क्रमांक 15, 16 पर अंकित धनराशि क्रमशः रू0 2,50,152/– , 11,77,335/– List of equipments के क्रमांक 6, 7 और 8 पर अंकित धनराशि क्रमशः रू0 80,000/– रू0 70,000/– और रू0 5,80,000/– (कुल रू0 27,87,487) शौचालय के लिए रू0 7,50,000/– की व्यवस्था सी0एस0आर0 के अन्तर्गत की जा सकती है।

विज्ञापन एजेन्सी विज्ञापन अधिकार पा जाने पर स्टाल, कार्ट या उपकरण आदि निःशुल्क उपलब्ध करायेंगी। इसके अतिरिक्त देय विज्ञापन शुल्क भी नगर निगम को भुगतान करेगी।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों, प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

(1) विज्ञापन का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा विस्तृत नियम और शर्तें तैयार कर पारस्परिक सहमति प्राप्त करते हुए तदनुसार अनुबन्ध निष्पादित कर लिया जाये। स्टाल/कार्ट/उपकरण/स्थल का अनुरक्षण और प्रबन्धन को भी अनुबन्ध में सम्मिलित किया जाये।

(2) पथ विक्रेताओं से नियमानुसार देय पथ विक्रय शुल्क/अनुरक्षण शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार प्राप्त किया जाय।

(3) पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014, दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के Operational Guideline और समय समय पर जारी आदेशों, निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) ले आउट के ब्लाक–ए में कार्ट सं0 1 से स्थल नं0 8 तथा ब्लाक सी में 18 और 23 के बीच बहुत संकरी जगह उपलब्ध है जिससे सामान्य अवागमन बाधित हो सकता है। इसमें समुचित दूरी रखी जाय।

(5) जिस स्थल पर भीड़ एकत्र होना सम्भावित है अथवा सामान्य आवागमन निरन्तर रहेगा वहां ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां कोई वाहन, मोटर साइकिल, साइकिल, रिक्शा आदि न जा सके। केवल क्रेता और विक्रेता ही वहां पहुंचे। इसके लिए उस स्थान को सीढ़ी आदि बनाकर ऊंचा (Elevate) किया जा सकता है।

(6) DIP के क्रियान्वयन के लिए कार्यदायी संस्था का निर्धारण जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा किया जायेगा। इसमें नगर निगम और टाउन वेंडिंग कमेटी की सक्रिय भूमिका और सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये।

(7) विज्ञापन का अधिकार देने, सी0एस0आर0 के अन्तर्गत प्राप्त धन/सुविधा और आउट सोर्सिंग के अन्य विकल्पों से प्राप्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त कार्यदायी संस्था का चयन कर DIP के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि का विवरण जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा द्वारा प्रस्तुत करने पर धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(8) स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत नियम एवं शर्तें बना ली जाय और तदनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

12/8/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)
प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक–591/241/NULM/तीन/2001(SOSU) दिनांक– 12/08/16

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0 को उक्त के आलोक में नियमानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
10. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा– वाराणसी।
11. नगर आयुक्त, नगर निगम–वाराणसी।
12. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/शहर मिशन प्रबंधन इकाई– वाराणसी।
13. परियोजना अधिकारी, डूडा वाराणसी।
14. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक